



## सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
 भाग-४, खण्ड (ख)  
 (परिनियत आदेश)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, १३ सितम्बर, २०१८  
 भाद्रपद २२, १९४० शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-१०

संख्या ९३४/आठ-१०-१८-०६ गठन-१६

लखनऊ, १३ सितम्बर, २०१८

प० आ०-२३५

### अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम), १९७४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३० सन् १९७४) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ११ सन् १९७३) की धारा ४ के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या ८३३/आठ-१०-१८-०६ गठन-१६ए दिनांक अगस्त, २०१८ द्वारा इस रूप में घोषित "मीरजापुर विन्ध्याचल विकास क्षेत्र" के लिए निम्नानुसार एक प्राधिकरण का गठन करते हैं जिसे मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

### मीरजापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण

१.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/आयुक्त, मीरजापुर-विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर	अध्यक्ष
२.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर	उपाध्यक्ष
३.	सचिव आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
४.	सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
५.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	पदेन सदस्य
६.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ अथवा नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य
७.	मुख्य नगर अधिकारी, मीरजापुर	पदेन सदस्य

8	जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर	पदेन सदस्य
9	नगर पालिका परिषद, मीरजापुर के सभासदों द्वारा स्वयं से निर्वाचित 04 सदस्य	सदस्य
10	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 03 सदस्य	सदस्य

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 934/Aath-10-18-06 Gathan-16, dated September 13, 2018:

No. 934/Aath-10-2018-06 Gathan-16

Dated Lucknow, September 13, 2018

In exercise of the power under section-4 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) as re-enacted with modifications by the Uttar Pradesh President's Act's (Re-enactment with Modifications) Act, 1947 (U.P. Act no. of 1974), the Governor is pleased to constitute as under an authority, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, to be known as the Mirzapur Vindhyachal Development Authority of the Mirzapur Vindhyachal Development Area declare as such in Government notification no. 833/Aath-17-18-06 Gathan-16, dated August 16, 2018.

**Mirzapur Vindhyachal Development Authority**

1	Appointed by State Government/The Commissioner, Mirzapur Vindhyachal Division, Mirzapur	Chairman
2	Appointed by State Government/District Magistrate, Mirzapur	Vice Chairman
3	The Secretary to the State Government Incharge of Housing Department or his nominee	Ex-officio Member
4	This Secretary to the State Government Incharge of Finance Department or his nominee	Ex-officio Member
5	Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh	Ex-officio Member
6	Managing Director, U.P. Jal Nigam Lucknow or nominee	Ex-officio Member
7	Mukhya Nagar Adhikari, Mirzapure	Ex-officio Member
8	Distric Magistrate, Mirzapur	Ex-officio Member
9	04 member elected by Sabhasads of the Nagar Palika Parishad, Mirzapur from amongst themselves	Member
10	03 member nominated by the State Government	Member

By order,

NITIN RAMESH GOKARAN,  
Pramukh Sachiv